[2018] 14 एस. सी. आर 355

छन्नूलाल वर्मा

वी.

छत्तीसगढ़ राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1482-1483 2018 का)

नवंबर 28,2018

[कुरियन जोसेफ, दीपाक गुप्ता और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

आपराधिक न्याय का प्रशासन-मृत्युदंड

-

अपीलार्थी ने कथित रूप से तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी और

दूसरों को गंभीर चोटें आईं-सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया

अपीलार्थी यू/एस. एस. 302 , 307 , 506 (2) और 450, आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने अपील पर दोषसिद्धि और मौत की सजा की पुष्टि की, अभिनिर्धारित कियाः उच्च न्यायालय ने गलती से मृत्युदंड की पुष्टि की-अपराध की असामान्य प्रकृति या अपीलार्थी के सुधार या पुनर्वास की असंभवता के बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया था-मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में दिया जाना है जहां अपराध की प्रकृति और अपराधी से संबंधित परिस्थितियों के कारण आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त या व्यर्थ है-क्या मृत्युदंड न देने से समाज में गलत संदेश जाएगा, इस पर विचार करने के लिए अतिरिक्त कारक हैं-उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया गया था जो गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों को देखने में भी विफल रहा।

जेल में दोषी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-यह तथ्य कि कैदी ने जेल में अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया है, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि वह सुधार से परे नहीं है-वर्तमान मामले में मौत की सजा की सर्वोच्च सजा देने का निर्णय "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले" की कसौटी को पूरा नहीं करता है जहां वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से है।

"-मृत्युदंड का अधिरोपण एकमात्र विकल्प नहीं था और इसलिए इसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है-दंड संहिता, 1860 एस. एस. 302 , 307 , 506 (2) और 450।

आपराधिक न्याय का प्रशासन-मृत्युदंड -

संवैधानिक विनियमन-आयोजितः (प्रति कुरियन जोसेफ, जे.) समय

मृत्युदंड की आवश्यकता को एक सजा के रूप में देखने के लिए आया है, विशेष रूप से इसका उद्देश्य और व्यवहार-दीपक गुप्ता, जे. (अपने और हेमंत गुप्ता, जे.) के अनुसार। (आंशिक रूप से असहमत) चूंकि

बचन सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने मृत्युदंड को बरकरार रखा है, इस स्तर पर इसकी फिर से जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अपीलार्थी का पुनर्वास किया गया। मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में दिया जाएगा जहां आजीवन कारावास हो। कारावास के कारण पूरी तरह से अपर्याप्त या व्यर्थ होगा

अपराध की प्रकृति और अपराधी से संबंधित परिस्थितियाँ। मौत की सजा देते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या व्यक्ति सुधार और पुनर्वास में सक्षम है। व्यक्ति समाज के लिए खतरा होगा या मौत की सजा नहीं देने से गलत संदेश जाएगा।

समाज के लिए अतिरिक्त कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय बचन सिंह द्वारा वारंट किए गए अपराधी के संबंध में उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों को देखने में भी विफल रहा है। यह तथ्य कि अपीलार्थी का आई. पी. सी. की धारा 376 में बरी किए जाने के अलावा कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, जो एक गलत निहितार्थ था और कथित उद्देश्य उच्च न्यायालय के साथ अपराधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण शमनकारी परिस्थिति के रूप में नहीं था।

[पैरा 13] [368-ई-एच; 369-ए-बी]

1.2 जेल अधीक्षक ने प्रमाण पत्र दिया है कि जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है। इस प्रकार, एक स्पष्ट संकेत है कि सभी आशा खोने के बावजूद, अपीलार्थी पर कोई निराशा नहीं आई है। इसके विपरीत, शेष अवधि के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनकी ओर से एक सचेत प्रयास किया गया था। एक दोषी को इस उम्मीद और उम्मीद के साथ जेल भेजा जाता है कि वह सुधार करेगा और सुधार प्राप्त करेगा। यह कि मृत्युदंड के दोषी पर इस तरह का सकारात्मक परिवर्तन है, यह निर्णय लेते समय न्यायालय के साथ भी विचार करना चाहिए कि क्या वैकल्पिक विकल्प छन्नू लाल वर्मा बनाम है।

निर्विवाद रूप से पूर्वनिर्धारित। यह राज्य का कर्तव्य था कि वह साक्ष्य द्वारा साबित करे कि दोषी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। वह जानकारी राज्य द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है प्रासंगिक समय, अब राज्य द्वारा दी गई जानकारी और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। बचन सिंह में 'दुर्लभतम' परीक्षण द्वारा निर्धारित मानक एक उच्च मानक है। जेल में दोषी के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि कैदी ने जेल में अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया है, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि वह सुधार से परे नहीं है। [पैरा 15] [369-जी-एच; 370-ए-बी]

1.3 अपराधी के सुधार की संभावना और संभावना के मामले में, एक उचित मनोवैज्ञानिक/मनोरोग मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस तरह के मनोवैज्ञानिक/मनोरोग की सहायता के बिना

मूल्यांकन और मूल्यांकन यह मानना उचित नहीं होगा कि सुधार की कोई संभावना या संभावना नहीं है। साक्ष्य द्वारा यह साबित करते समय कि दोषी का सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है, राज्य को इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखना होगा। एक अन्य पहलू जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई है, वह है मुकदमे के चरण में सजा सुनाने के लिए अलग से सुनवाई नहीं करने की प्रक्रियात्मक अनुचितता। दोषसिद्धि और सजा के लिए एक द्विभाजित सुनवाई एक आवश्यक शर्त थी। उसी दिन सजा सुनाने के लिए सुनवाई आयोजित करके, निचली अदालत अपीलार्थी को सजा सुनाने और कम करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करने में विफल रही है।

[पैरा 16,17] [370-सी-ई]

1.4 उपर्युक्त कारणों से, अधिरोपण

मृत्युदंड एकमात्र विकल्प नहीं था और इसलिए इसे आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। [पैरा 18] [370-ई-एफ]

बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684

पीछा किया।

संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2009) 6 एस. सी. सी. 498: [2009] 9 एससीआर 90; माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470: [1983] 3 एस. सी. आर. 413; शंकर किसनराव खाड़े बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एससीसी 546: [2013] 6 एससीआर

949 पर भरोसा किया।

[201

8] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सोनू सरदार बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 4 एससीसी 97

: [2012] 3 एससीआर 558; संगीत बनाम। हरियाणा राज्य (2013)

2 एससीसी 452: [2012] 13 एस. सी. आर. 85-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

पीछा किया।

पै

रा 6

[2009] 9 एससीआर 90

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[2012] 3 एससीआर 558

पै

रा 7

संदर्भित किया गया है

[1983] 3 एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[2013] 6 एससीआर 949

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2012] 13 एससीआर 85

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1482-1483 2018 से।

उच्च न्यायालय के 11.04.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक संदर्भ संख्या में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का। 06 2013 और

712 2013 से।

कॉलिन गोंजाल्विस, सीनियर एड. , सुश्री निन्नी सुसान थॉमस, श्रीजी,

राधा श्याम जेना, सत्य मित्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अतुल झा, संदीप झा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कुरियन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की जाती हैं

छत्तीसगढ़ दिनांक 11.04.2014 ने सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करते हुए सत्र परीक्षण संख्या 288/2011 दिनांक 25.06.2013 में अपने फैसले को देखा। अपीलार्थी ने दोषसिद्धि और सजा दोनों को चुनौती दी है।

3. वर्तमान मामले में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। 19.10.2011 पर,

यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी आनंदराम साहू, फिरंतीन बाई (आनंदराम साहू की पत्नी) और श्रीमती के घर में घुस गया। रत्ना साहू (आनंदराम की बहू)। अपीलार्थी ने चाकू से आनंदराम, रत्ना साहू और फिरंतिन बाई को घातक चोट पहुँचाई। इसके बाद, अपीलार्थी ने खून से सना चाकू और छन्नू लाल वर्मा बनाम के साथ दुर्गा बंछोर के घर में प्रवेश किया।

[कुरियन, जे।]

मीरा बंछोर पर हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब दुर्गा बंछोर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो अपीलार्थी ने उन्हें दूर धकेल दिया, जो फिर मौके से भाग गए।

4. सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत हत्या, हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया।

आई. पी. सी. की धारा 506 (2) और आई. पी. सी. की धारा 450 के तहत घर में घुसने की धमकी देकर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

जुर्माना लगाया और उसे मौत की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि यह दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी का मामला है। जिस तरह से अपीलार्थी ने भी लोगों को चुना और चुना, उससे संकेत मिलता है कि यह कार्य पूर्व-ध्यान से किया गया था। और चूंकि अपीलार्थी ने प्रक्रिया में क्रूरता का प्रदर्शन किया, इसलिए अदालत ने इसे दुर्लभतम मामलों की श्रेणी के तहत एक मामले के रूप में माना और अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई गई।

5. उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और मृत्यु की पुष्टि करते हुए

सजा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अलावा पीडब्लू-15 सोनू जो एक बाल गवाह है, पीडब्लू-11 दुर्गा बाई, पीडब्लू-8 बसंत, पीडब्लू-9 सुखदेव यादव और पीडब्लू-10 जयलाल धनखड़ की गवाही पर निर्भर थी। बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों पर भी विचार किया गया। संतुलन बनाते हुए

निम्नलिखित स्थितियों को गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में देखा गया हैः

आई. कि अपीलार्थी ने तीन व्यक्तियों की हत्या की है।

ii. कि अपीलार्थी जानता था कि वह क्या कर रहा था और

इसके परिणाम और फिर भी उसने अपराध किया।

iii. कि रत्ना बाई की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उन पर पहले मृतक रत्न के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था और

उन्हें एक साल तक जेल में रखा गया, हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया।

iv. तीन लोगों की हत्या करने के अलावा उसने

जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

कि दो मृतक और एक घायल व्यक्ति थे

महिलाएँ।

एकमात्र कम करने वाली परिस्थिति जिस पर न्यायालय ने ध्यान दिया वह यह तथ्य था कि अपीलार्थी पर पहले अपराध करने का आरोप लगाया गया था बलात्कार किया गया और केवल एक साल के लिए

जेल में रखा गया जिसे बाद में बरी कर दिया गया। एक अन्य कारक जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया वह यह था कि अपीलार्थी ने या तो अनभिज्ञता का नाटक किया या विचारण न्यायाधीश द्वारा उससे पूछे गए प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने [2018] 14 एस. सी. आर. नहीं किया।

एक मामला बनाएँ कि बलात्कार के मामले में गलत निहितार्थ के कारण भावनात्मक या अत्यधिक परेशान मन की स्थिति में उसके द्वारा अपराध किया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "अपीलार्थी ने मृत्युदंड न देने की स्थिति को कम नहीं किया।" अंत में, उच्च न्यायालय ने माना कि बिगड़ती परिस्थितियां शमन से अधिक हैं

इस प्रकार परिस्थितियाँ और मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले के दायरे में आता है जिसमें मृत्युदंड की मांग की जाती है। अभिलेख पर मजबूत साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, श्री कॉलिन गोंजाल्विस, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंत में, और हमारे अनुसार सही, प्रस्तुत किया कि कम से कम सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है।

6. विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया है कि दोषसिद्धि और सजा के लिए सुनवाई उसी दिन की गई थी जिसका उल्लंघन किया गया था

बचन सिंह बनाम में निर्धारित दिशानिर्देश। पंजाब राज्य 1 और अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। शमन और उसके बाद सजा के प्रश्न पर सुनवाई की जाए। रिलायंस को संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम पर भी रखा गया है।

महाराष्ट्र राज्य 2 जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 235 (2) और 354 (3) के तहत एक पूर्ण और द्विभाजित सुनवाई और "विशेष कारणों" की रिकॉर्डिंग के लिए एक अधिदेश है यदि न्यायालय मौत की सजा देने के लिए इच्छुक है। ट्रायल कोर्ट ने

बचन सिंह (ऊपर) में आयोजित। यह भी तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने बचन सिंह (उपरोक्त) में निर्धारित शर्त की अनदेखी की है कि राज्य को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना नहीं दिखाता है। उपर्युक्त आधारों पर, अपीलार्थी का वकील प्रार्थना करता है कि अधिरोपित मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए। 7. प्रत्यर्थी राज्य के वकील के अनुसार, अपीलार्थी का पुरुष अधिकार उच्च स्तर और तीव्रता का था और अदालतें मृत्युदंड देने में सही थीं। यह भी बताया गया है कि

1 (1980) 2 एससीसी 684

2 (2009) 6 एस. सी. सी. 498 छन्नू लाल वर्मा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[कुरियन, जे।]

अपीलार्थी की आई. पी. सी. की धारा 376 के मामले में एक ही परिवार के साथ पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि थी और इस प्रकार यह एक ऐसा मामला है जिसमें वह खुद को सुधारने में विफल रहा है। प्रतिवादी ने बाल गवाह की गवाही के आधार पर आगे की दलीलें भी दी हैं, जिसमें सोनू सरदार बनाम पर भरोसा किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य 3. अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रहार थे

हत्या करने का इरादा था क्योंकि सभी चोटें गंभीर थीं और महत्वपूर्ण हिस्सों पर लगी थीं। वकील ने यह भी बताया कि अपीलार्थी की परिवार के साथ पूर्व शत्रुता थी और हत्या को पीड़ितों की ओर से बिना किसी उकसावे के ठंडे दिमाग से और पूर्व नियोजित तरीके से किया गया था।

अपीलार्थी ने यह स्थापित करने का प्रयास नहीं किया है कि यह कार्य उसके द्वारा मृतक में से एक के साथ बलात्कार के मामले में झूठे निहितार्थ के कारण भावनात्मक अस्थिरता के कारण किया गया था। संक्षेप में, अपीलार्थी ने मृत्युदंड से बचने के लिए परिस्थितियों को कम नहीं किया है। 8. बचन सिंह (ऊपर) में भारत में मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) के तहत, आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड है -

अपवाद। न्यायालय ने न्यायाधीशों की विवेकाधीन शक्तियों को पूरी तरह से कुचलने के बिना सैद्धांतिक सजा की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने यह भी माना कि मौत की सजा देते समय जिन "विशेष कारणों" को दर्ज करने की आवश्यकता होती है, उनका अर्थ है "असाधारण कारण" जो अपराध के साथ-साथ अपराधी से संबंधित विशेष मामले की असाधारण रूप से गंभीर परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। बचन सिंह (ऊपर) में इंगित कुछ उत्तेजक और कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं:

बिगड़ती परिस्थितियाँ: हालांकि, एक अदालत में

निम्नलिखित मामलों में मृत्युदंड अपने विवेकाधिकार पर लगाया जाता है:

(क) यदि हत्या पूर्व योजना के बाद की गई है।

और इसमें अत्यधिक क्रूरता शामिल है; या

((ख) यदि हत्या में असाधारण भ्रष्टता शामिल है; या
(ग) यदि हत्या संघ के किसी सशस्त्र बल के सदस्य या किसी पुलिस बल के सदस्य या किसी अन्य सदस्य की है।

((ii) कुछ भी किए जाने या करने का प्रयास करने के परिणामस्वरूप ऐसे सदस्य या लोक सेवक द्वारा ऐसे सदस्य या लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में, चाहे

3 (2012) 4 एससीसी 97 [2018] 14 एस. सी. आर.

हत्या के समय वह ऐसा सदस्य या लोक सेवक था, जैसे मामला ऐसा सदस्य या सार्वजनिक हो सकता है या समाप्त हो गया था

सेवक; या

(घ) यदि हत्या किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 के तहत अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में कार्य किया था, या जिसने किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी से उसकी सहायता की मांग की थी या उक्त संहिता की धारा 37 और धारा 129 के तहत उसकी सहायता की आवश्यकता थी।

स्थितियों को कम करनाः अपने विवेकाधिकार के प्रयोग में

(1) कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था। (2) अभियुक्त की आयु। यदि अभियुक्त जवान या बूढ़ा है, तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी।

(3) अभियुक्त द्वारा अपराध न करने की संभावना

हिंसा के कार्य जो समाज के लिए निरंतर खतरा बने रहेंगे।

(4) अभियुक्त के सुधार की संभावना और

पुनर्स्थापित किया गया। राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त उपरोक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा नहीं करता है।

(5) कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि वह अपराध करने में नैतिक रूप से उचित था।

(6) कि अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या प्रभुत्व में काम किया।

(7) कि अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसकी सराहना करने की क्षमता को बाधित कर दिया

उसके आचरण की आपराधिकता।

9. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सजा का निर्धारण करते समय,

अपराध के साथ-साथ अपराधी को भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों को अपराध और अपराधी दोनों के दृष्टिकोण से देखना होगा। प्रासंगिक चर्चा

इस प्रकार पढ़ता हैः

" 201 ..... जैसा कि हम 1973 की संहिता की धारा 354 (3) और 235 (2) और अन्य संबंधित प्रावधानों को पढ़ते हैं, यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि

दंड का चुनाव करना या अस्तित्व का पता लगाने के लिए हनूलाल वर्मा v.

छत्तीसगढ़ राज्य

[कुरियन, जे।]

या उस संदर्भ में "विशेष कारणों" की अनुपस्थिति, अदालत को चाहिए

अपराध और अपराधी दोनों को उचित सम्मान दें। क्या बात है?

उत्तेजक और शमनकारी कारकों को दिया जाने वाला सापेक्ष वजन,

यह विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

अक्सर नहीं, ये दोनों पहलू इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि यह

उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग उपचार देना मुश्किल है। यह ऐसी बात है।

क्योंकि "शैली ही पुरुष है"। कई मामलों में, बेहद क्रूर या

हत्या करने का क्रूर तरीका ही एक है

अपराधी के भ्रष्ट चरित्र का सूचकांक प्रदर्शित किया। इसलिए, परिस्थितियों पर विचार करना वांछनीय नहीं है

अपराध और अपराधी की परिस्थितियाँ दो अलग-अलग

जलरोधक डिब्बे। एक अर्थ में, मारना क्रूर होना है और

इसलिए सभी हत्याएँ क्रूर होती हैं। लेकिन इस तरह की क्रूरता में भिन्नता हो सकती है

दोष की डिग्री। और यह केवल तभी होता है जब दोष माना जाता है

अत्यधिक भ्रष्टता का अनुपात जो "विशेष कारणों" से हो सकता है

वैध रूप से अस्तित्व में कहा जाए। "

(जोर दिया गया)

हालांकि, अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि सूची में वृद्धि

ऊपर दी गई नकारात्मक परिस्थितियाँ संपूर्ण नहीं हैं और

मृत्युदंड में कम करने वाले कारकों को अदालतों द्वारा एक उदार और ठोस आधार मिलना चाहिए। पैराग्राफ 209 इस प्रकार है:

" 209. कई अन्य परिस्थितियाँ हैं जो इसे उचित ठहराती हैं

हल्के वाक्य का पारित होना; क्योंकि वहाँ काउंटरवेलिंग हैं बिगड़ने की परिस्थितियाँ "। हम स्पष्ट रूप से एक में भोजन नहीं कर सकते

न्यायिक कंप्यूटर ऐसी सभी स्थितियाँ क्योंकि वे ज्योतिषीय हैं

एक अपूर्ण और लहरदार समाज में अभेद्य। फिर भी, यह खत्म नहीं किया जा सकता है-इस बात पर जोर दिया जाता है कि दायरा और

मृत्युदंड के क्षेत्र में कारकों को कम करने की अवधारणा आवश्यक है

यह उनके लिए बहुत अच्छा था। तथ्य और आंकड़े, भले ही अधूरे हों, भारत संघ द्वारा प्रस्तुत, यह दर्शाता है कि अतीत में, अदालतों ने

अत्यधिक विरलता के साथ अत्यधिक दंड एक तथ्य

जो उनकी सावधानी और करुणा की पुष्टि करता है

हमेशा अपनी सजा का प्रयोग करने के लिए लाया जाता है

इतने गंभीर मामले में विवेक। इसलिए आवाज उठाना अनिवार्य है। यह चिंता कि अदालतें, व्यापक सचित्र गाइड-पंक्तियों [2018] 14 एस. सी. आर. द्वारा सहायता प्राप्त हैं।

हमारे द्वारा संकेतित, एवरमोर के साथ भारी कार्य का निर्वहन करेगा

ईमानदारी से देखभाल और मानवीय चिंता, उच्च सड़क के साथ निर्देशित

धारा 354 (3) में उल्लिखित विधायी नीति। कि व्यक्तियों के लिए हत्या के दोषी, आजीवन कारावास नियम और मौत है

एक अपवाद वाक्य। गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता

मानव जीवन कानून के माध्यम से जीवन लेने के प्रतिरोध को स्वीकार करता है

उपकरणता। यह दुर्लभतम को छोड़कर नहीं किया जाना चाहिए।

दुर्लभ मामलों में जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से होता है

पूर्वनिर्धारित "।

(जोर दिया गया)

10. माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य * न्यायालय ने संक्षेप में कहा

बचन सिंह (ऊपर) में और निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 38. इस पृष्ठभूमि में बचन सिंह में बताए गए दिशानिर्देश मामले को निकालना होगा और प्रत्येक के तथ्यों पर लागू करना होगा

व्यक्तिगत मामला जहाँ मृत्युदंड देने का प्रश्न हो

उठती है। बचन सिंह से निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं - मामलाः

अत्यधिक दोषी होने के गंभीरतम मामलों में। ((ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले की परिस्थितियाँ -

'अपराधी' को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए

'अपराध' की परिस्थितियों के साथ। ((iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक

केवल तभी जब आजीवन कारावास पूरी तरह से अपराध प्रतीत होता है। प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त दंड

अपराध की परिस्थितियाँ, और केवल प्रदान की गई,

आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प नहीं हो सकता है

प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से अभ्यास किया जाए और

अपराध की परिस्थितियाँ और सभी प्रासंगिक परिस्थितियाँ।

((iv) उग्रता और शमन की एक तुलनपत्र

परिस्थितियों को तैयार करना होगा और ऐसा करने में कम करना होगा

उग्रता और उग्रता के बीच संतुलन बनाना होगा। विकल्प का प्रयोग करने से पहले परिस्थितियों को कम करना।

) 3 एस. सी. सी. 470 हन्नू लाल वर्मा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[कुरियन, जे।]

39. इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित

प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उत्तर दिए जा सकते हैंः

(क) क्या अपराध में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त और कॉल करता है

मौत की सजा के लिए?

(ख) अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वैकल्पिक लेकिन उसके बाद भी मृत्युदंड देने के लिए

कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व जो अपराधी के पक्ष में बोलो?

40. यदि सभी परिस्थितियों का समग्र वैश्विक दृष्टिकोण लेते हुए

उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में और ध्यान में रखते हुए ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर, परिस्थितियाँ

मामले के ऐसे हैं कि मौत की सजा वारंट है, अदालत

ऐसा करना जारी रखेंगे "।

(जोर दिया गया)

11. यह स्पष्ट है कि बचन सिंह (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने एक

मृत्युदंड के अनुदान के लिए "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम जब वैकल्पिक विकल्प संदिग्ध रूप से बंद कर दिया गया हो" की उच्च सीमा। इसका अर्थ

संतोष बरियार में इस अभिव्यक्ति की चर्चा की गई है।

ए)। न्यायालय ने दो भागों में सुनवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया

दोषसिद्धि और सजा देने का उद्देश्य। संबंधित भाग में लिखा हैः

" 56. इस स्तर पर, बचन सिंह विषय-वस्तु की जानकारी देते हैं।

सजा सुनाना। अभिलेख तैयार करने के लिए न्यायालय को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए इस स्तर पर सभी प्रासंगिक जानकारी। कुछ जानकारी

अपराध से संबंधित को पहले के चरण से निकाला जा सकता है

सजा सुनाना। इस जानकारी में संबंधित पहलू शामिल होंगे।

अपराध की प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव, दोषी की दोषसिद्धि, आदि। प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता भी एक प्रासंगिक कारक है। के लिए

उदाहरण, परिस्थितिजन्य साक्ष्य या बच्चे पर निर्भरता की सीमा

गवाह सजा के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन

अधिकांश मृत्युदंड के मामलों में जिसकी बहुत कमी है, वह है

विशेषताओं और सामाजिक-आर्थिक से संबंधित जानकारी

अपराधी की पृष्ठभूमि। यह मुद्दा 48 वीं में भी उठाया गया था।

विधि आयोग की रिपोर्ट।

57. ऐसी परिस्थितियाँ जो प्रासंगिक नहीं हो सकतीं

[2018] 14 एस. सी. आर. के चयन में भी दोषसिद्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वाक्य। अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण ऐसा ही एक उदाहरण हो सकता है। इस संदर्भ में, बचन सिंह द्वारा प्रस्तुत कम करने वाली परिस्थितियों की सूची में दिशानिर्देश 4 प्रासंगिक है। न्यायालय ने कहाः (एस. सी. सी पी. 750, पैरा 206)

" 206. (4) अभियुक्त के सुधार की संभावना और पुनर्स्थापित किया गया।

राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त नहीं करता है।

उपरोक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा करें।

जुर्माने में, बचन सिंह ने अपराध से संबंधित गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों की पहचान करने और सजा सुनाने की सुनवाई में दोषी को एकत्र करने का आदेश दिया।

58. दुर्लभतम उक्ति धारा 354 (3) के तहत "विशेष कारणों" में जीवन की सांस लेती है। इस संदर्भ में, बचन सिंह ने निम्नलिखित शब्दों में एक मौलिक सीमा निर्धारित कीः (एस. सी. सी पी. 751 , पैरा

209)

“ 209. ... .मनुष्य की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता जीवन कानून के माध्यम से जीवन लेने के प्रतिरोध को स्वीकार करता है

उपकरणता। यह दुर्लभतम को छोड़कर नहीं किया जाना चाहिए।

दुर्लभ मामलों में जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से होता है पूर्वनिर्धारित "।

(जोर दिया गया)

पूर्वनिर्धारित "। 59. इस प्रकार, संक्षेप में, दुर्लभतम उक्ति मृत्युदंड के पुरस्कार पर एक व्यापक प्रतिबंध लगाती है, जिसे केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब मामले के तथ्य नीचे दी गई दोहरी योग्यता को सफलतापूर्वक पूरा करते हैंः

1. कि मामला दुर्लभतम श्रेणी, हनू लाल वर्मा बनाम से संबंधित है।

[कुरियन, जे।]

2. और आजीवन कारावास का वैकल्पिक विकल्प नहीं होगा मामले के तथ्यों में पर्याप्त है।

60. दुर्लभतम उक्ति लागू करने में एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है

धारा 354 (3) और इस नीति को पुष्ट करती है कि आजीवन कारावास

नियम और मृत्युदंड एक अपवाद है। यह एक स्थापित कानून है।

व्याख्या की कि अपवादों को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

कि मामला होने के नाते, दुर्लभतम उक्ति एक जगह रखता है अदालत पर असाधारण बोझ, यदि वह मृत्यु का चयन करती है

पसंदीदा दंड के रूप में सजा, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए

दुर्लभतम में निहित अपवादों को संतुष्ट करने के लिए तथ्यों का मूल्यांकन

दुर्लभ उक्ति।

61. पृष्ठभूमि विश्लेषण इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि

मामला दुर्लभतम श्रेणी से संबंधित है जिसके अनुरूप होना चाहिए

न्यायिक कठोरता और संपूर्णता के उच्चतम मानक कम विश्लेषण एक असाधारण रूप से संकीर्ण अपवाद है। एक निष्कर्ष

किसी मामले के संबंध में दुर्लभतम से दुर्लभतम पहलू के बारे में संबंधित बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की पहचान

अपराध और अपराधी दोनों के लिए। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया गया हैः (बचन सिंह मामला, एस. सी. सी. पी. 738 , पैरा 161

" 161. ..... के संदर्भ में 'विशेष कारण' अभिव्यक्ति

इस प्रावधान का स्पष्ट रूप से अर्थ है 'असाधारण कारण'

विशेष की असाधारण गंभीर परिस्थितियों पर

अपराध के साथ-साथ अपराधी से संबंधित मामला "।

(जोर दिया गया)

12. शंकर किसनराव खाड़े बनाम। महाराष्ट्र राज्य 5 यह

टी ने उस तरीके को देखा जिसमें उग्रता और शमन होता है

मौकों को तौला जाना चाहिए और कैसे दुर्लभतम परीक्षण को मौत की सजा देते समय संपादित किया जाना चाहिए और इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिएः

" 52. जैसा कि ऊपर बताया गया है, गंभीर परिस्थितियाँ, निश्चित रूप से,

परीक्षण "और" संतुलन परीक्षण "नहीं। मृत्युदंड देने के लिए, " अपराध परीक्षण "पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए, यानी 100% और" आपराधिक "

परीक्षण "0 प्रतिशत, अर्थात, अभियुक्त के पक्ष में कोई कम करने वाली परिस्थिति नहीं। यदि अभियुक्त के पक्ष में कोई परिस्थिति है, जैसे कि

अपराध करने का इरादा, सुधार की संभावना, युवा

मृत्युदंड। भले ही दोनों परीक्षण संतुष्ट हों, यानी, पूरी हद तक बिगड़ती परिस्थितियाँ और कोई शमन नहीं

अभियुक्त के पक्ष में परिस्थितियाँ, फिर भी हमें अंत में आवेदन करना होगा

दुर्लभतम केस टेस्ट (आर-आर टेस्ट)। आर-आर परीक्षण इस पर निर्भर करता है

समाज की धारणा जो "समाज-केंद्रित" है और नहीं " न्यायाधीश-केंद्रित ", अर्थात, क्या समाज इसे मंजूरी देगा

कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड देना या न देना।

उस परीक्षण को लागू करते समय, अदालत को विभिन्न कारकों पर गौर करना पड़ता है

समाज की घृणा, अत्यधिक आक्रोश और घृणा की तरह

मौत की सजा क्योंकि स्थिति ऐसी मांग करती है, संवैधानिक कारण से मजबूरी, लोगों की इच्छा से परिलक्षित होती है न कि लोगों की इच्छा से

न्यायाधीश "।

(जोर दिया गया)

13. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने गलती से मृत्यु की पुष्टि की है

बचन सिंह (ऊपर), माछी सिंह (ऊपर), संतोष बरियार (ऊपर) और शंकर किसनराव खाड़े (ऊपर) में निर्धारित कानून को सही ढंग से लागू किए बिना दंड। इस मामले में मृत्युदंड की सर्वोच्च सजा देने का निर्णय "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले जहां वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद है" की कसौटी को पूरा नहीं करता है। माछी सिंह (ऊपर) के पैराग्राफ 39 में दिए गए प्रश्नों का उत्तर विशेष मामले में नहीं दिया गया है। अपराध की असामान्य प्रकृति या अपीलार्थी के सुधार या पुनर्वास की असंभवता के बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया है। बचन सिंह (ऊपर) स्पष्ट रूप से

यह निर्धारित करता है कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में दिया जाएगा जहां अपराध की प्रकृति और अपराधी से संबंधित परिस्थितियों के कारण आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त या व्यर्थ होगा। मौत की सजा देते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या व्यक्ति सुधार और पुनर्वास में सक्षम है। जैसा कि शंकर किसनराव खाड़े (ऊपर) में निर्धारित किया गया है, क्या व्यक्ति ऐसा करेगा

समाज के लिए खतरा होना या मृत्युदंड न देने से समाज में गलत संदेश जाएगा या नहीं, ये अतिरिक्त कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। नहीं।

ऐसा विश्लेषण उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय भी परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों को देखने में विफल रहा है चन्नू लाल वर्मा बनाम।

छत्तीसगढ़ राज्य

[कुरियन, जे।]

बचन सिंह (ऊपर) द्वारा वारंट किए गए अपराधी के संबंध में। यह तथ्य कि अपीलार्थी का आई. पी. सी. की धारा 376 में बरी किए जाने के अलावा कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, जो एक गलत निहितार्थ था और कथित उद्देश्य उच्च न्यायालय के साथ अपराधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण शमनकारी परिस्थिति के रूप में नहीं था।

14. पिछले लगभग चार दशकों से यह न्यायालय लोगों के मूल्य और गरिमा पर संवैधानिक लोकाचार पर अपनी चिंता को लगातार दोहराता रहा है।

इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त में सुधार किया जा सकता है '(पैराग्राफ 206),' उदार और विस्तृत अर्थ '(पैराग्राफ 209),' वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद है '(पैराग्राफ 209)' मानवीय चिंता ' (पैराग्राफ 209), 'मानव जीवन की गरिमा के लिए वास्तविक और स्थायी चिंता' (पैराग्राफ 209), माची सिंह (ऊपर) में 'अत्यधिक दोषी होने का सबसे गंभीर मामला' (पैराग्राफ 38), 'केवल तभी जब जीवन पूरी तरह से अपर्याप्त सजा प्रतीत होता है' (पैराग्राफ 28), 'कम करने वाली परिस्थितियों को कम करना चाहिए।

संतोष बरियार (उपरोक्त) में पूर्ण महत्व दिया जाए कि 'अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना (पैराग्राफ 57),' दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला एक नकारात्मक नियम है '(पैराग्राफ 58),' मृत्यु एक असाधारण संकीर्ण शुरुआत है '(पैराग्राफ 58),

' मृत्यु अधिरोपित करने के लिए न्यायालय पर असाधारण बोझ '(पैराग्राफ 60),' परिस्थितियों को कम करने के लिए अधिकतम महत्व और फिर भी मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं '(पैराग्राफ 39),' न्यायिक कठोरता और पूर्णता के उच्चतम मानक '(पैराग्राफ 61), और शंकर किसनराव खाड़े (ऊपर)

कि 'सुधार की संभावना, अभियुक्त की कम उम्र, समाज के लिए खतरा नहीं, कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं' (पैराग्राफ 52) आदि। इन कारकों पर उच्च न्यायालय या विचारण न्यायालय द्वारा उचित विचार नहीं किया गया है।

15. यह अपील पिछले चार वर्षों से इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। चूंकि अपीलार्थी जेल में है, हम जानना चाहते थे

क्या सुधार के लिए उनकी ओर से कोई प्रयास किया गया था। जेल अधीक्षक ने प्रमाण पत्र दिया है कि जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है। इस प्रकार, एक स्पष्ट संकेत है कि सभी आशा खोने के बावजूद, अपीलार्थी पर कोई निराशा नहीं आई है। इसके विपरीत, शेष अवधि के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनकी ओर से एक सचेत प्रयास किया गया था। एक दोषी को इस उम्मीद और उम्मीद के साथ जेल भेजा जाता है कि वह

संशोधन करेंगे और सुधार प्राप्त करेंगे। कि ऐसी सकारात्मक बात है हमारे विचार में, मृत्युदंड के दोषी पर परिवर्तन, यह निर्णय लेते समय न्यायालय के साथ भी विचार करना चाहिए कि क्या वैकल्पिक विकल्प [2018] 14 एस. सी. आर. है।

निर्विवाद रूप से पूर्वनिर्धारित। जैसा कि बचन सिंह (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ ने कहा था कि यह राज्य का कर्तव्य था कि वह साक्ष्य द्वारा साबित करे कि दोषी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। वह जानकारी जो राज्य द्वारा प्रासंगिक समय पर प्रस्तुत नहीं की गई है, अब राज्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। बचन सिंह (उपरोक्त) में 'दुर्लभतम में दुर्लभतम' परीक्षण द्वारा निर्धारित मानक एक उच्च मानक है। जेल में दोषी के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि कैदी ने जेल में अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया है, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि वह सुधार से परे नहीं है।

मूल्यांकन और मूल्यांकन यह मानना उचित नहीं होगा कि सुधार की कोई संभावना या संभावना नहीं है। राज्य को साक्ष्य द्वारा यह साबित करते हुए इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखना होगा कि दोषी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सुधार या पुनर्स्थापित।

17. एक अन्य पहलू जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई है, वह है मुकदमे के चरण में सजा सुनाने के लिए अलग से सुनवाई नहीं करने की प्रक्रियात्मक अनुचितता। संतोष बरियार (ऊपर) में दोषसिद्धि और सजा के लिए एक द्विभाजित सुनवाई एक आवश्यक शर्त थी। उसी दिन सजा सुनाने के लिए सुनवाई आयोजित करके, निचली अदालत अपीलार्थी को सजा सुनाने और कम करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करने में विफल रही है।

18. उपर्युक्त कारणों से, हम मानते हैं कि अधिरोपण

मृत्युदंड एकमात्र विकल्प नहीं था और इसलिए इसे आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

भारत में मृत्युदंड का भविष्य

19. चूँकि बचन सिंह (ऊपर) इस न्यायालय का एक संविधान पीठ का निर्णय है, इसलिए न्यायालय इन नियमों में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

उक्त निर्णय की तब तक समीक्षा की जाती है जब तक कि इसकी विधिवत समीक्षा नहीं की जाती है। लेकिन हम इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि विभिन्न पीठों ने समय के साथ बचन सिंह (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों के असंगत अनुप्रयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है और ऐसी विसंगतियों को कम करने के लिए सिद्धांतों के अनुप्रयोग को भी आगे बढ़ाया है। संतोष में

बरियार (ऊपर), न्यायालय ने मृत्युदंड से दूर वैश्विक कदम का उल्लेख किया और कहाः

" 109. ..... अब यह स्पष्ट है कि परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों की बैलेंस शीट भी एक मामले-दर-मामले हनू लाल वर्मा बनाम पर लागू होती है।

छत्तीसगढ़ राज्य

[कुरियन, जे।]

आधार ने पर्याप्त रूप से काम नहीं किया है ताकि हमारी मृत्युदंड प्रणाली से मनमानेपन के दोष को दूर किया जा सके। यह सुरक्षित हो सकता है

उन्होंने कहा कि "दुर्लभतम मामलों" की बचन सिंह सीमा को विभिन्न लोगों द्वारा सबसे विविध और असंगत रूप से लागू किया गया है।

उच्च न्यायालयों के साथ-साथ यह न्यायालय भी।

110. इस बिंदु पर हम यह भी इंगित करना चाहते हैं कि मृत्युदंड के कानून में अनिश्चितता का विशेष परिणाम है क्योंकि मामला मृत्युदंड से संबंधित है-असाधारण रूप से व्यापक सजा के विवेकाधिकार के प्रयोग से आने वाला सबसे गंभीर दंड, जो है

बचन सिंह ने मृत्युदंड देने वाले कानून में अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है जो स्पष्ट रूप से संवैधानिक उचित प्रक्रिया और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। स्थिति अव्यवहारिक है क्योंकि कानूनी विवेकाधिकार जो केवल कार्यपालिका या न्यायपालिका को दिया जाता है यदि विवेकाधिकार के दायरे और इसके प्रयोग के तरीके के बारे में कानून या पूर्ववर्ती के माध्यम से कोई संकेत है, तो कानून में टिकाऊ है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्पष्टता भी होनी चाहिए

विचाराधीन उपाय का वैध उद्देश्य। का संविधान

20. संगीत वी. हरियाणा राज्य 'न्यायालय ने नोट किया कि " 30. स्वामी श्रद्धानंद (2) v में उत्तेजक और कम करने वाली परिस्थितियों के माध्यम से सजा देने की नीति को लागू करने पर विचार किया गया। कर्नाटक राज्य। एक समीक्षा पर, रिपोर्ट के पैरा 48 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि सजा देने की प्रक्रिया में समानता की कमी है। दुर्लभतम सिद्धांत का समान रूप से या लगातार पालन नहीं किया गया है। इस संदर्भ में आलोक नाथ दत्ता बनाम का संदर्भ दिया गया था। डब्ल्यू. बी. की स्थिति जिसने बदले में मुद्दे को घर लाने के लिए पहले के कई निर्णयों का उल्लेख किया।

31. स्वामी श्रद्धानंद में आलोचना का उल्लेख किया गया था (के साथ)

अनुमोदन) संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। राज्य महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट के पैरा 109,129 और 130 में इस न्यायालय की "बेचैनी और बेचैनी की भावना" को साझा करते हुए कहा। वास्तव में, पैरा में

109 रिपोर्ट में यह देखा गया कि - (बरियार मामला)

" 109. ..... उग्रता और शमन की तुलनपत्र

मामला-दर-मामला आधार पर लागू परिस्थितियों के दृष्टिकोण ने पर्याप्त रूप से काम नहीं किया है ताकि मामले के दोष को दूर किया जा सके।

हमारी मृत्युदंड प्रणाली से मनमानेपन। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि 'दुर्लभतमतम मामलों' की बचन सिंह सीमा को विभिन्न उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय द्वारा भी सबसे विविध और असंगत रूप से लागू किया गया है।

32. ऐसा प्रतीत होता है कि संभावनाओं की अंतर्निहित भीड़ को देखते हुए, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियाँ निकट आती हैं।

प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।

33. इसलिए, हमारी सम्मानजनक राय में, न केवल बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है।

लेकिन बच्चन सिंह के निष्कर्षों के आलोक में इस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर भी नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा लगता है

कि भले ही बचन सिंह का इरादा "सैद्धांतिक सजा" देना था, लेकिन सजा अब वास्तव में न्यायाधीश-केंद्रित हो गई है जैसा कि उजागर किया गया है।

स्वामी श्रद्धानंद और बरियार में। इस पहलू को

संविधान द्वारा प्रस्तुत द्वितीय चरण में सजा देने की नीति

ऐसा लगता है कि बचन सिंह में पीठ संक्रमण में खो गई है।

21. शंकर किसनराव खाड़े (ऊपर) में, इस न्यायालय ने भारत के विधि आयोग से इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया कि क्या मृत्युदंड एक निवारक दंड है या प्रतिशोधात्मक न्याय है या एक अक्षम लक्ष्य को पूरा करता है।

22. इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि संविधान

बचन सिंह (ऊपर) की पीठ ने वर्ष 1967 में प्रस्तुत विधि आयोग की 35 वीं रिपोर्ट का व्यापक संदर्भ दिया है, जिसमें मृत्युदंड को बरकरार रखने को उचित ठहराया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस न्यायालय द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर तैयार और प्रस्तुत वर्ष 2015 में प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या 262 ने व्यापक शोध के बाद और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। रिपोर्ट संख्या 262 के परिचय से उद्धृत करने के लिए:

" अध्याय-I

परिचय

A. उच्चतम न्यायालय से संदर्भ

1.1. 1 . शंकर किसनराव खाड़े बनाम। महाराष्ट्र राज्य ('खाड़े') (2013) 5 एस. सी. सी. 546 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के मुद्दे पर एक अपील पर विचार करते हुए, एक सुसंगत और सुसंगत उद्देश्य एन. एन. यू. एल. ए. एल. वर्मा बनाम की कमी के साथ अपनी चिंता व्यक्त की।

छत्तीसगढ़ राज्य

[कुरियन, जे।]

घ. मृत्यु देने और क्षमादान देने के लिए आधार। न्यायालय ने विधि आयोग के हस्तक्षेप का आह्वान किया

('आयोग') इन दो मुद्दों पर, यह देखते हुए किः

मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि अदालतें दुर्लभतम से दुर्लभतम सिद्धांत को लागू कर रही हैं, लेकिन कार्यपालिका ने इसे अपनाया है। कुछ कारकों पर विचार करें जो अदालतों को ज्ञात नहीं हैं

मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना। इस संबंध में यह आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों (आरोपी और बलात्कार-हत्या पीड़ित दोनों) के जीवन से निपट रहे हैं कि अदालतें पुरस्कार देने के लिए एक न्यायशास्त्रीय आधार निर्धारित करें।

मृत्युदंड और जब विकल्प निर्विवाद रूप से है

इसे बंद कर दिया गया है ताकि मौजूदा अनिश्चितता से बचा जा सके। मृत्युदंड और इसके निष्पादन का मामला नहीं बनना चाहिए

अनिश्चितता और न ही मृत्युदंड को इसमें परिवर्तित करना चाहिए

आजीवन कारावास संयोग का विषय बन जाता है। शायद

भारत का विधि आयोग इस मुद्दे को हल कर सकता है यह जांच करना कि क्या मृत्युदंड एक निवारक दंड है या प्रतिशोधात्मक न्याय है या एक अक्षम लक्ष्य को पूरा करता है। (शंकर किसनराव खाड़े बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2013)

5 एस. सी. सी. 546-पैरा 148 (जोर दिया गया)

यह प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है कि राज्य के दो महत्वपूर्ण अंग, अर्थात् न्यायपालिका और कार्यपालिका किसी अपराध के दोषी दोषियों के जीवन का इलाज कर रहे हैं।

विभिन्न मानकों के साथ मौत की सजा। यद्यपि न्यायपालिका द्वारा लागू मानक दुर्लभतम सिद्धांत का है (यद्यपि व्यक्तिपरक या न्यायाधीश-केंद्रित यह इसके अनुप्रयोग में हो सकता है), लेकिन कार्यपालिका द्वारा परिवर्तन प्रदान करने में लागू मानक ज्ञात नहीं है। इसलिए, यह हो सकता है (और हो सकता है कि ऐसा हुआ हो) कि किसी मामले में सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक दोषी को मौत की सजा देने में एकमत हैं, कोई भी अन्य विकल्प निर्विवाद रूप से है।

बंद कर दिया गया है, लेकिन कार्यकारी ने एक पूर्ण रूप से लिया है

विपरीत राय और मृत्युदंड को कम कर दिया है। भारत के विधि आयोग को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। (2013) 5 एससीसी 546-पैरा 149। (जोर दिया गया)

उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग को मृत्युदंड से संबंधित सवाल का यह पहला हालिया उदाहरण नहीं था।

ओश कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य ') (2009) 6 एस. सी. सी. 498 ने अनुभवजन्य अनुसंधान की कमी को मुद्दा बताते हुए न्यायालय ने कहाः

हम यह भी जानते हैं कि 18.12.2007 पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 62/149 को अपनाया

देश जो एक स्थापित करने के लिए मौत की सजा को बनाए रखते हैं

फांसी पर दुनिया भर में रोक

मृत्युदंड को समाप्त करना। हालाँकि, भारत उन 59 देशों में से एक है जहाँ मृत्युदंड बरकरार है। विश्वसनीय शोध, शायद भारत के विधि आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा एक अद्यतन तिथि की अनुमति दे सकता है।

और इस विषय पर चर्चा और बहस की जानकारी दी। (
जोर दिया गया)

1.1. 3 . इस प्रकार वर्तमान रिपोर्ट काफी हद तक उच्चतम न्यायालय के इन संदर्भों और बदली हुई परिस्थितियों के आलोक में मृत्युदंड पर आयोग की अपनी सिफारिशों की पुनः जांच की आवश्यकता से प्रेरित है। 23. रिपोर्ट संख्या 262 के अध्याय-VII में निष्कर्ष शामिल हैं

सिफारिशें। उद्धृत करने के लिए:

" A. निष्कर्ष

7.1. 1 मृत्युदंड दंडात्मक लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है

आजीवन कारावास से अधिक का निवारण। इसके अलावा, जीवन भारतीय कानून के तहत कारावास का अर्थ है न्यायसंगत छूट के अधीन पूरे जीवन के लिए कारावास, जो कई राज्यों में गंभीर अपराधों के मामलों में कई वर्षों के कारावास के बाद ही दिया जाता है।

जो 30-60 वर्षों से लेकर है।

"आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत" का हमारी संवैधानिक रूप से मध्यस्थ आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। मृत्युदंड देने में विफल किसी भी संवैधानिक रूप से मान्य दंडात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना।

7.1. 3 पीड़ितों को न्याय के अंतिम उपाय के रूप में मृत्युदंड पर ध्यान केंद्रित करने में, न्याय के पुनर्स्थापनात्मक और पुनर्वासात्मक पहलुओं की दृष्टि खो दी जाती है। मृत्युदंड पर निर्भरता आपराधिक न्याय प्रणाली को बीमार करने वाली अन्य समस्याओं जैसे खराब जांच, अपराध की रोकथाम और अपराध के पीड़ितों के अधिकारों से ध्यान हटाती है।

हन्नू लाल वर्मा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[कुरियन, जे।]

यह आवश्यक है कि राज्य अपराध के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रभावी पीड़ित मुआवजा योजनाएं स्थापित करे। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि अदालतें उन्हें दी गई शक्ति का उपयोग करें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 उपयुक्त अनुदान देने के लिए

उपयुक्त मामलों में पीड़ितों को मुआवजा। पीड़ितों की आवाज़ें

और गवाहों को अक्सर शक्तिशाली अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा नियोजित धमकियों और अन्य जबरदस्त तकनीकों द्वारा चुप करा दिया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि एक गवाह सुरक्षा योजना भी स्थापित की जाए।

बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस सुधारों की आवश्यकता

कुछ समय पहले और उसी के संबंध में उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। 7.1. 4 पिछले दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर मौत की मनमानी सजा के बारे में चिंता व्यक्त की है

दंड के मामले। अदालत ने कहा है कि उन मामलों में अंतर करना मुश्किल है जहां मृत्युदंड लगाया गया है और जहां आजीवन कारावास का विकल्प लागू किया गया है। अदालत के अपने शब्दों में "बचन सिंह के अत्यंत असमान अनुप्रयोग ने मृत्युदंड देने वाले कानून में अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है जो स्पष्ट रूप से संवैधानिक उचित प्रक्रिया और समानता के खिलाफ है।

सिद्धांत "। अदालत ने गलत तरीके से थोपे जाने को भी स्वीकार किया है

बचन सिंह के उल्लंघन में मौत की सजा

दिशानिर्देश। इसलिए, पूँजी का संवैधानिक विनियमन

बचन सिंह में सजा का प्रयास मौत को रोकने में विफल रहा है।

वाक्यों को "मनमाने ढंग से और अजीब तरीके से थोपा गया" होने से।

7.1. 5 मृत्युदंड से इस तरह की मनमानी को हटाने के लिए कोई सैद्धांतिक तरीका मौजूद नहीं है। अपराधों का कठोर, मानकीकरण या वर्गीकरण जो मामलों के बीच के अंतर को ध्यान में नहीं रखता है, मनमाना है क्योंकि यह अलग-अलग मामलों को एक ही आधार पर मानता है। बच्चन सिंह ढांचे की तरह कुछ भी कम स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से और स्वीकार किया गया है।

असफल रहे।

7.1. 6 कई समिति की रिपोर्टों के साथ-साथ निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है कि प्रशासन

देश में आपराधिक न्याय गहरे संकट में है। संसाधनों की कमी, जांच के पुराने तरीके, अत्यधिक पुलिस बल, अप्रभावी अभियोजन और खराब कानूनी सहायता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो व्यवस्था को घेर रही हैं। मृत्युदंड इस संदर्भ में संचालित होता है [2018] 14 एस. सी. आर.

और इसलिए समान संरचनात्मक और प्रणालीगत बाधाओं से पीड़ित है। इस प्रकार मृत्युदंड का प्रशासन गलत साबित होता है और गलत उपयोग के प्रति संवेदनशील रहता है। प्रणाली की अनिश्चितताएँ सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ भी असमान रूप से काम करती हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी हो सकती है।

एक प्रतिकूल आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर अपने अधिकारों की प्रभावी ढंग से वकालत करें।

7.1. 7 क्षमादान की शक्तियाँ आमतौर पर न्यायिक दोषसिद्धि और अपराधी को सजा सुनाए जाने के बाद काम में आती हैं। इन अभ्यासों में

क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति और राज्यपाल को मामले के रिकॉर्ड की जांच करने और अपराध या सजा के मुद्दे पर न्यायिक फैसले से भिन्न होने का अधिकार है। यहां तक कि जब वे अलग नहीं होते हैं, तब भी उन्हें अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है

न्यायिक केन। उन्हें नए सबूत देखने का भी अधिकार है जो अदालतों के समक्ष नहीं रखे गए थे। (केहर सिंह बनाम। भारत संघ-(1989) 1 एस. सी. सी. 204 पैरा 7,10 और 16) क्षमादान शक्तियाँ, जबकि व्यापक रूप से विचार के लिए और उचित अवसरों पर प्रयोग की जा सकती हैं, न्यायिक त्रुटि या न्याय की विफलता की संभावना के खिलाफ अंतिम सुरक्षा के रूप में भी कार्य करती हैं। यह उन लोगों पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है जो इस शक्ति का उपयोग करते हैं और एक पूर्ण शक्ति की आवश्यकता होती है। विवेक का प्रयोग, न्यायिक अभिलेखों की जांच, और एक दया याचिका पर निर्णय लेने में व्यापक पूछताछ, विशेष रूप से न्यायिक रूप से पुष्टि की गई मौत की सजा के तहत एक कैदी से जो निष्पादन के बहुत कगार पर है। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने शत्रुघ्न चौहान बनाम. भारत संघ-(2014) 3 एस. सी. सी. 1-पैरा 55-56) ने विभिन्न प्रासंगिक विचारों को दर्ज किया है जिन पर गृह मंत्रालय द्वारा दया याचिकाओं पर निर्णय लेते समय विचार किया जाता है।

7.1. 8 अनुच्छेद 72 और 161 के तहत दया शक्तियों का प्रयोग गर्भपात के खिलाफ अंतिम सुरक्षा के रूप में कार्य करने में विफल रहा है।

मृत्युदंड के अधिरोपण में न्याय। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार अंतराल और अवैधताओं की ओर इशारा किया है कि कैसे कार्यपालिका इस बात की पुष्टि करती है कि मृत्युदंड को बनाए रखना दंडनीय नहीं है। विद्रोह, आतंक या हिंसक अपराध का प्रभावी ढंग से जवाब देने की आवश्यकता।

हन्नू लाल वर्मा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[कुरियन, जे।]

B. सिफारिश

7.2. 1 आयोग ने सिफारिश की है कि उपाय सुझाए गए हैं

पैरा 7.1 में। 3 ऊपर, जिसमें पुलिस सुधारों के प्रावधान शामिल हैं,

गवाह सुरक्षा योजना और पीड़ित मुआवजा योजना होनी चाहिए।

सरकार द्वारा तेजी से कार्रवाई की जाए।

7.2. 2 हमारे अपने न्यायशास्त्र का मार्च-हटाने से

जीवन को थोपने के लिए विशेष कारण देने की आवश्यकता

1955 में मृत्यु के बजाय कारावास; विशेष कारणों की आवश्यकता के लिए

उच्चतम न्यायालय द्वारा दंड को दुर्लभतम से दुर्लभतम तक सीमित कर दिया गया था मामले-उस दिशा को दर्शाते हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है। जानकारी दी।

विस्तारित और गहरी सामग्री और क्षितिज द्वारा भी

जीवन का अधिकार और उचित प्रक्रिया आवश्यकताओं को मजबूत करना

राज्य और व्यक्ति के बीच बातचीत, प्रचलित

संवैधानिक नैतिकता और मानव गरिमा के मानक,

आयोग को लगता है कि भारत के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है

मृत्युदंड का उन्मूलन।

7.2. 3 हालाँकि इसके लिए कोई वैध दंडात्मक औचित्य नहीं है

आतंकवाद को अन्य अपराधों से अलग तरीके से देखना अक्सर चिंता का विषय होता है उठाया कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करना

आतंकवाद से संबंधित अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड अपराध।

7.2. 4 आयोग तदनुसार सिफारिश करता है कि मृत्यु

आतंकवाद से संबंधित अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए दंड समाप्त किया जाए।

अपराध और युद्ध छोड़ना।

(जोर दिया गया)

विधि आयोग की उक्त रिपोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए

मृत्युदंड के संवैधानिक विनियमन का प्रयास किया गया

एक सिंह (ऊपर) मौत की सजा को रोकने में विफल रहा है

बेरहमी से और अजीब तरीके से लगाया गया "और वह मृत्युदंड विफल हो गया है

किसी भी संवैधानिक रूप से मान्य दंडात्मक लक्ष्यों के लिए, हम हैं

कि एक समय आ गया है जहाँ हम मृत्युदंड की आवश्यकता को देखते हैं विशेष रूप से इसका उद्देश्य और अभ्यास।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. यह भी एक दुखद चिंता का विषय है कि अपराधों पर सार्वजनिक चर्चा किसी मामले में मुकदमे, दोषसिद्धि और सजा पर कैसे प्रभाव डालती है। अदालत का कर्तव्य संवैधानिक रूप से सही होना, भले ही उसका दृष्टिकोण बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हो, भी एक ऐसा कारक है जिसे अदालत को लोगों या जनता की सामूहिक अंतरात्मा से निपटने के लिए विचार करना चाहिए। राय दें। आखिरकार, समाज का दृष्टिकोण आम तौर पर भावनात्मक रूप से प्रेरित आख्यानों से बनता है। इस तरह के आख्यानों को कानूनी रूप से सही, उचित रूप से सूचित या प्रक्रियात्मक रूप से उचित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 262 में कहा गया है, "न्यायालय बहुसंख्यकवाद के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने में एक विरोधी बहुसंख्यकवादी भूमिका निभाता है।

आवेग। किसी मामले में जनमत कानून के शासन और संविधानवाद के मूल्यों के खिलाफ जा सकता है जिसके द्वारा न्यायालय फिर भी बाध्य है और जैसा कि इस न्यायालय ने संतोष बरियार (ऊपर) में कहा है कि जनमत या अपराध के बारे में लोगों की धारणा न तो अपराध से संबंधित एक वस्तुनिष्ठ परिस्थिति है और न ही अपराधी के लिए। इस संदर्भ में, हम लोगों की वैधता और औचित्य पर भी अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं।

न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया से पहले "विचारण" में। जाँच एजेंसी के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करना और अपराध और अपराधी के बारे में समाज के सामूहिक विवेक में एक बादल पैदा करना लगभग एक प्रवृत्ति बन गई है। यह निस्संदेह अदालतों पर बढ़ते दबाव को बढ़ाता है

विचारण के सभी चरणों में और निश्चित रूप से उनमें न्याय के नियत मार्ग में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है।

25. जब तक कानून की पुस्तकों में मृत्युदंड मौजूद है, तब तक इस सजा को देने में न्यायाधीश द्वारा संतुष्ट किया जाने वाला बोझ अधिक होना चाहिए। सजा की अपरिवर्तनीय प्रकृति और इस तथ्य पर कि मौत की सजा के दोषी उस अवधि के लिए जीवन और मृत्यु के बीच फांसी पर हैं, विधिवत विचार किया जाना चाहिए। अदालत के समक्ष प्रत्येक मृत्युदंड का मामला एक ऐसे मानव जीवन से संबंधित है जिसे कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है और यदि जीवन छीनना है, तो प्रक्रिया को सबसे सख्त और उच्चतम संवैधानिक मानकों का पालन करना चाहिए। न्यायाधीशों के रूप में हमारा विवेक, जिसके द्वारा निर्देशित किया जाता है

संवैधानिक सिद्धांत इससे कम की अनुमति नहीं दे सकते।

26. इसलिए इन अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है, जिससे मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

दीपाक गुप्ता, जे।

1. हमें अपने विद्वान भाई न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ द्वारा दिए गए विद्वतापूर्ण निर्णय से गुजरने का सौभाग्य मिला है। हम भरे हुए हैं

पैरा 23 में निम्नलिखित टिप्पणियों को छोड़कर निर्णय में बताई गई सभी बातों के साथ सहमतिः

हन्नू लाल वर्मा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य

[दीपाक गुप्ता, जे।]

" विधि आयोग की उक्त रिपोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए कि मृत्युदंड के संवैधानिक विनियमन का प्रयास किया गया था बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 684, मृत्युदंड को "मनमाने ढंग से और विचित्र रूप से अधिरोपित" होने से रोकने में विफल रहा है और यह कि मृत्युदंड किसी भी संवैधानिक रूप से वैध दंडात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है, हमारा मानना है कि एक ऐसा समय आ गया है जब हम मृत्युदंड की आवश्यकता को एक दंड के रूप में देखते हैं, विशेष रूप से इसका उद्देश्य और अभ्यास "।

2. हमारे विचार में, क्योंकि बचन सिंह बनाम में संविधान पीठ। पंजाब 1 ने मृत्युदंड को बरकरार रखा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है

ऐमीन इस स्तर पर समान है।

अपीलों को आंशिक रूप

से अनुमति दी गई।

पांडे

) 2 एस. सी. सी. 684